

1 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700419 / 2016

न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700419 / 2016

संस्थित दिनांक:-20 / 07 / 16

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र,
गोहद जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. श्यामसुंदर शिवहरे पुत्र रामप्रकाश शिवहरे उम्र-24 साल
निवासी-ग्राम धर्मपुरा तहसील लहार जिला भिण्ड म.प्र.

आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1-बी) ए आयुद्ध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ - श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपी द्वारा अधि0 - श्री अशोक पचौरी)

// निर्णय //

// आज दिनांक 17/11/2017 को घोषित किया //

आरोपी पर दिनांक 27.04.16 को 22:30 बजे देशी शराब की दुकान के सामने चितौरा गोहद में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला एक देशी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27.04.16 को थाना गोहद के उपनिरीक्षक शिवप्रताप सिंह कुशवाह 21:52 बजे मयफोर्स पीएसआई अर्चना पाल, पीएस आई कीर्ति अजमेरिया आरक्षक राममोहन रावत के साथ शासकीय वाहन क्र0 एमपी 03 5646 से रोडगश्त पर चितौरा की तरफ रवाना हुआ था चितौरा देशी शराब की दुकान के सामने एक लडका पेंट शर्ट पहने खड़ा था जिसे उसने साक्षी रिन्कू जाटव एवं अवधेश जोशी के समक्ष चैक किया था तो उसके पेंट के अंदर कमर में हाथ का बना 315 बोर का कट्टा एवं दाहिनी जेब में 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम श्याम सुन्दर बताया था। आरोपी के पास कारतूस रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था। उसने आरोपी से मौके पर ही कट्टा एवं कारतूस जप्त कर जप्ती की एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 108/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

2 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700419/2016

3. उक्तानुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।

4. दं०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.04.16 को 22:30 बजे देशी शराब की दुकान के सामने चितौरा गोहद में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला 315 बोर का एक देशी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी रिन्कू जाटव आ०सा०01, अवधेश आ०सा०02, आरक्षक राममोहन रावत आ०सा०03, महेन्द्रसिंह आ०सा०04, एस.आई. शिवप्रतापसिंह आ०सा०05 एवं आरक्षक सुनील बौहरे आ०सा०06 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क्र०-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में एस०आई० शिवप्रताप सिंह आ०सा०05 जो कि जप्तीकर्ता है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 27.04.16 को पी० एस० आई० अर्चनापाल, कीर्ति अजमेरिया, आरक्षक राममोहन के साथ शासकीय वाहन से कस्बागश्त भ्रमण एवं रोड व्यवस्था हेतु रवाना हुआ था रवानगी पंचनामा प्र०पी०06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने चितौरा देशी शराब की दुकान के सामने गाड़ी रोकी थी। शराब की दुकान के सामने एक लडका खड़ा था जो लाल रंग की शर्ट एवं काले रंग का पैंट पहने हुए था तलाशी लेने पर उसके पैंट में कमर के अंदर एक देशी हाथ का बना 315 बोर का एक कट्टा तथा पैंट की दाहिनी जेब में एक 315 बोर का कारतूस रखा हुआ पाया था नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना श्यामसुन्दर शिवहरे बताया था। आरोपी के पास कट्टा एवं कारतूस रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था। उसने मौके पर ही रात्रि साढ़े 10 बजे आरोपी से साक्षी रिन्कू जाटव एवं अवधेश गोस्वामी के समक्ष 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी-1 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी-2 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तत्पश्चात उसने थाना वापिस आकर आरोपी के विरुद्ध प्र०पी०08 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वापिसी रोजनामचा सान्हा क्र० 27 पर इंद्राज की थी जिसकी प्रति प्र०पी०07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए-1 का कट्टा एवं ए-2 का कारतूस वही कट्टा कारतूस हैं जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त किए थे।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने आरोपी को चितौरा दुकान के सामने टीनशेड से पकड़ा था एवं यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती, गिरफ्तारी एवं रोजनामचे में यह उल्लिखित नहीं है कि टीनशेड किसकी जगह में लगा था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामे में जप्तशुदा कारतूस का के. एफ. कोड अंकित नहीं है एवं जप्ती पंचनामे में कारतूस का चित्र भी नहीं बनाया गया है। पद क्र०5 में उक्त साक्षी का कहना है कि जप्तशुदा कट्टे पर लगी

3 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700419/2016

चिट पर साक्षीगण के हस्ताक्षर हैं या नहीं वह आज नहीं बता सकता क्योंकि जप्तशुदा कटटे पर लगी चिट जंग से लाल हो चुकी है एवं पठनीय नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जिस थैली में जप्तशुदा कट्टा रखा है उस थैली में गवाहों के हस्ताक्षर के नमूने वाला कागज नहीं है। पद क्र० 6 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि राजनामचे की प्रति में ओवर राइटिंग उसके द्वारा की गई है प्रिंट निकालते समय कम्प्यूटर आरक्षक द्वारा समय गलत टाइप कर दिया गया था जिसे उसके द्वारा ठीक किया गया है।

9. साक्षी आरक्षक राममोहन रावत अ०स०3 द्वारा भी जप्तीकर्ता शिवप्रताप सिंह अ०सा०5 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को एस० आई० शिवप्रताप सिंह के साथ चितौरा गश्त पर जाने एवं देशी शराब की दुकान के सामने आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

10. साक्षी रिन्कू जाटव अ०सा०1 एवं अवधेश अ०सा०2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी को नहीं जानते हैं पुलिस ने उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी रिन्कू जाटव अ०सा०1 ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०2 के क्रमशः ए से ए भाग पर तथा अवधेश अ०सा०2 ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०2 के क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी श्यामसुन्दर को गिरफ्तार किया था एवं उससे कट्टा एवं कारतूस जप्त किया था।

11. आर्म्स क्लर्क महेन्द्र सिंह अ०सा०4 द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी०5 को प्रमाणित किया गया है एवं आरक्षक सुनील बोहरे अ०सा०6 द्वारा जप्तशुदा कट्टा एवं कारतूस की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी०9 को प्रमाणित किया गया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि अनुसार ली गई है। उक्त संबंध में आर्म्स क्लर्क महेन्द्र सिंह अ०स०4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 22.06.16 को थाना गोहद के निरीक्षक शिवप्रताप सिंह कुशवाह द्वारा थाने के अप० क्र० 108/16 की कैस डायरी जप्तशुदा आयुध सहित अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं प्रभारी जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा कैस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी०5 है जिसके ए से ए भाग पर प्रभारी जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। वह प्रभारी जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह के हस्ताक्षरों से परिचित है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आरक्षक द्वारा सीलबंद आयुध को प्रभारी जिला दंडाधिकारी के समक्ष खोला गया था उस वक्त वह प्रभारी अधिकारी के समक्ष खड़ा था। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

4 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700419/2016

14. इस प्रकार महेन्द्रसिंह आ0सा04 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना गोहद द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध कैस डायरी सहित प्रभारी जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री प्रवीण सिंह ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनसार प्राप्त की गई थी।

15. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आर्म्स क्लर्क सुनील बौहरे आ0सा06 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 21.05.16 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना गोहद के आरक्षक कमलेश शर्मा द्वारा लाए जाने पर थाना गोहद के अप0 क्र0 108/16 में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस की जांच की थी जांच के दौरान कट्टे का एक्शन चैक किया था कट्टे का एक्शन सही काम कर रहा था कट्टे से फायर किया जा सकता था। कारतूस भी जिंदा हालत में था कारतूस से फायर हो सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी09 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने कट्टे से फायर करके नहीं देखा था।

16. इस प्रकार आरक्षक सुनील बौहरे आ0सा06 ने यद्यपि अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने कट्टे से फायर करके नहीं देखा था परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि उसने कट्टे का एक्शन चैक किया था तथा कट्टे का एक्शन सही काम कर रहा था एवं कट्टे से फायर किया जा सकता था। आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में मात्र इस कारण से कि कट्टे से फायर करके नहीं देखा गया था यह नहीं माना जा सकता है कि कट्टा संचालनीय स्थिति में नहीं था।

17. प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षक सुनील बौहरे आ0सा06 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि कट्टा एवं कारतूस की जांच की थी तथा जांच के दौरान कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

18. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस आरोपी ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे ? उक्त संबंध में उपनिरीक्षक शिवप्रताप सिंह आ0सा05 जो कि जप्तीकर्ता हैं, ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना वाले दिन वह मयफोर्स कस्बागश्त पर गया था तो चितौरा देशी शराब की दुकान के सामने आरोपी खड़ा था तथा तलाशी के दौरान उसने आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त कर एवं आरोपी को गिरफ्तार कर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने रवानगी एवं वापसी रोजनामचे में अंकित की थी जो कि प्र0पी06 एवं प्र0पी07 है।

19. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रोजनामचे की प्रति में समय में ओवरराइटिंग है जो कि उसके द्वारा की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि रोजनामचा प्र0पी06 में समय में ओवरराइटिंग है परंतु उक्त संबंध में साक्षी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान

5 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700419/2016

में रोजनामचा कम्प्यूटर से निकलता है एवं कम्प्यूटर से प्रिंट निकालते वक्त आरक्षक द्वारा समय गलत टाइप कर दिया गया था प्रिंटआउट निकालने के बाद उसने उक्त त्रुटि को ठीक किया था। इस प्रकार शिवप्रताप सिंह अ0सा05 द्वारा उक्त संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है इसके अतिरिक्त उक्त तथ्य इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है जिसके कारण संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद माना जाए।

20. शिवप्रताप सिंह अ0सा05 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि उसने आरोपी को शराब की दुकान के सामने टीनशेड से पकड़ा था तथा यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती, गिरफ्तारी एवं रोजनामचे में यह वर्णित नहीं है कि टीनशेड किसकी जगह में लगा था परंतु उक्त तथ्य रोजनामचा, जप्ती एवं गिरफ्तारी में वर्णित होना आवश्यक नहीं है। अतः मात्र उक्त आधार पर अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि जप्ती पंचनामा प्र0पी01 में कट्टे का मानचित्र तो बनाया गया है परंतु कारतूस का मानचित्र नहीं बनाया गया है यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। जप्ती पंचनामा प्र0पी01 में एक 315 बोर का हाथ का बना कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस जप्त होने का उल्लेख है एवं मात्र कारतूस का मानचित्र अंकित न होने से जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

22. जहां तक आरक्षक राममोहन रावत अ0स03 के कथन का प्रश्न है तो राममोहन रावत अ0सा03 ने भी अपने कथन में जप्तीकर्ता शिवप्रताप सिंह कुशवाह अ0सा05 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को शिवप्रताप सिंह कुशवाह के साथ गश्त पर जाने एवं आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

23. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पुलिस आरोपी से अनैतिक लाभ प्राप्त करना चाहती थी एवं उक्त इच्छा की पूर्ति न होने के कारण पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कराया गया है परंतु आरोपी द्वारा लिए गए बचाव के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन सा पुलिस अधिकारी/कर्मचारी आरोपी से किस प्रकार का अनैतिक लाभ प्राप्त करना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है एवं मात्र उक्त तर्क से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है आरोपीगण के विरुद्ध मात्र पुलिस कर्मचारियों के कथन शेष हैं यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी रिन्कू जाटव अ0सा01 एवं अवधेश अ0सा02 द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा जप्ती पंचनामा प्र0पी01 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः आपराधिक मामलों में जनता का कोई भी साक्षी संलिप्त नहीं होना चाहता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति आपराधिक मामलों में तब तक संलिप्त नहीं होता है जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से स्वयं उस मामले से हितबद्ध न हो। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया

6 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700419/2016

गया है परन्तु जप्तीकर्ता शिवप्रताप सिंह अ0सा05 एवं साक्षी राममोहन रावत अ0सा03 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि प्रकरण में पुलिस कर्मचारियों के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं तो मात्र इस आधार पर पुलिस कर्मचारियों के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की संपुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत नाथूसिंह वि0 म0प्र0 राज्य ए.आई.आर. 1973 सु.को. एस.सी. 2783 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि पंच गवाहों के समर्थन न करने के बाद भी यदि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विश्वास योग्य हो तो उसे विचार में लिया जाना चाहिए। न्यायदृष्टांत काले बाबू वि0 म0प्र0राज्य 2008 (4) एम.पी.एच.टी.397 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अन्य साक्षीगण कहानी का समर्थन नहीं करते हैं मात्र इस कारण पुलिस अधिकारी की गवाह अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। न्यायदृष्टांत करमजीतसिंह वि0 दिल्ली एडमिस्ट्रेशन (2003)5 एस.सी.सी.297 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह ही लेना चाहिए विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

25. इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता शिवप्रताप सिंह अ0सा05 ने घटना दिनांक को आरोपी श्यामसुन्दर से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त होना बताया है। आरक्षक राममोहन रावत अ0सा03 ने भी उक्त बिन्दु पर शिवप्रताप सिंह अ0सा05 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है तथा घटना दिनांक को आरोपी श्यामसुन्दर से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त किए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं। जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 में भी आरोपी श्यामसुन्दर से 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस जप्त किए जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर शिवप्रतापसिंह अ0सा05 के कथन की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 से भी हो रही है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

26. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी श्यामसुन्दर ने दिनांक 27.04.16 को 22:30 बजे देशी शराब की दुकान के सामने चितौरा गोहद में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक जिदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा। फलतः यह न्यायालय आरोपी श्यामसुन्दर को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोष सिद्ध करती है।

27. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

7 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700419/2016

पुनश्च:-

28. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

29. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु आरोपी द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस अपने आधिपत्य में रखे गये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी श्यामसुन्दर शिवहरे को **आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए** के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।

30. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

31. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत् निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी कार्यालय भिण्ड की ओर भेजे जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावें।

32. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। प्रकरण में आरोपी श्यामसुन्दर शिवहरे दिनांक 28.04.16 से दिनांक 30.04.16 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

तदनुसार सजा वारंट बनाया जावें।

स्थान गोहद

दिनांक:-17.11.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही/-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)